निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

18 आश्विन 1936 (शo)

(सं0 पटना 846) पटना, शुक्रवार, 10 अक्तूबर 2014

स्वास्थ्य विभाग

———————

अधिसूचनाएं

24 सितम्बर 2014

सं0 04/फार्मा–14–01/14–870(4)—भारत का संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार के राज्यपाल, स्वास्थ्य विभाग के अधीन, फार्मासिस्ट संवर्ग में नियुक्ति एवं अन्य सेवा शर्तो के विनियमित करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं: –

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ। – (1) यह नियमावली ''बिहार फार्मासिस्ट संवर्ग नियमावली, 2014'' कही जा सकेगी।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह तुरंत प्रवृत होगी।

2. परिभाषाएँ। – जब तक विषय या संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में–

(i) 'सरकार' से अभिप्रेत है बिहार राज्य सरकार;

(ii) 'विभाग' से अभिप्रेत है स्वास्थ्य विभाग;

(iii) 'आयोग' से अभिप्रेत है बिहार कर्मचारी चयन आयोग;

(iv) 'नियुक्ति प्राधिकार' से अभिप्रेत है निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार;

(v) 'निदेशालय' से अभिप्रेत है निदेशालय, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार;

(vi) 'संवर्ग' से अभिप्रेत है बिहार फार्मासिस्ट संवर्ग;

(vii) 'फार्मासिस्ट' से अभिप्रेत है फार्मासिस्ट एवं मिश्रक; तथा

(viii) 'परिशिष्ट' से अभिप्रेत है इस नियमावली के साथ संलग्न परिशिष्ट 1 एवं 2 ।

3. संवर्ग का गठन। – फार्मासिस्ट का संवर्ग राज्य स्तरीय होगा। इस संवर्ग में प्रत्येक कोटि के पदों की संख्या तथा संवर्ग के पदों की कुल संख्या उतनी होगी जितनी सरकार द्वारा, समय–समय पर, स्वीकृत की जाय।

4. संवर्ग का पदसोपान। – इस संवर्ग की विभिन्न कोटियाँ अर्थात पदसोपान परिशिष्ट–1 के अनुसार होंगे।

5. भर्ती।– इस संवर्ग में नियुक्ति मूल कोटि (फार्मासिस्ट) के पद पर सीधी भर्ती से, आयोग की अनुशंसा के आधार पर, होगी।

6. अर्हताएँ। – (1) मूल कोटि के पद पर सीधी भर्ती के लिए न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता इंटरमीडियेट/10 + 2 (विज्ञान) में उत्तीर्णता और सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से डिप्लोमा–इन–फार्मेसी कोर्स के सभी पार्ट (पार्ट I, II एवं III) में उत्तीर्णता होगी, तथा एतत्संबंधी प्रमाण पत्र प्राप्त रहना आवश्यक होगा।

(2) अभ्यर्थी को बिहार फार्मेसी काउन्सिल से रजिष्ट्रीकृत होना आवश्यक होगा।

(3) फार्मासिस्ट संवर्ग में सीधी भर्ती के लिए न्यूनतम आयु–सीमा 21 वर्ष होगी और अधिकतम आयु–सीमा वही होगी जो सरकार द्वारा समय–समय पर, आरक्षण कोटिवार, विनिश्चित की जाय।

(4) संबंधित वर्ष की 1 ली अगस्त को, उम्र के निर्धारणार्थ, कट ऑफ डेट माना जायेगा।

7. भर्ती की प्रक्रिया। – (1) नियुक्ति प्राधिकार वर्ष की 1 ली अप्रैल की स्थिति के आधार पर रिक्ति की गणना कर एवं रोस्टर क्लीयरेन्स कराकर, आरक्षण कोटिवार, अधियाचना आयोग को 30 अप्रैल तक भेजेगा।

(2) अधियाचना के आलोक में आयोग रिक्तियों को विज्ञापित कर आवेदन–पत्र आमंत्रित करेगा और निम्नलिखित के आधार पर मेधासूची तैयार करेगा :–

(क) इन्टरमीडियेट/10+2 (विज्ञान) परीक्षा में प्राप्तांक के लिए	–	25 अंक
(ख) उच्चतर शिक्षा (बी0 एस–सी0/बी0 फार्मा0/एम0 एस–सी0/ एम0 फार्मा0) के लिए	–	10 अंक
(ग) डिप्लोमा–इन फार्मेसी की परीक्षा में प्राप्तांक के लिए	–	25 अंक
(घ) बिहार राज्य के सरकारी अस्पतालों में कार्य का अनुभव के लिए (प्रति वर्ष के लिए 5 अंक, अधिकतम 25 अंक)	–	25 अंक
(ड.) साक्षात्कार के लिए	–	15 अंक
कुल	–	100 अंक

टिप्पणी। – इन्टरमीडियेट/+2 (विज्ञान) की परीक्षा एवं डिप्लोमा इन फार्मेसी में प्राप्तांक के लिए किसी अभ्यर्थी को प्रदान किये जाने वाले अंकों का निर्धारण उक्त कोर्स की परीक्षा में प्राप्त कुल अंकों के प्रतिशत को 0.25 के गुणक से गुणा करके होगा। यथा, यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा 50 प्रतिशत अंक प्राप्त किया गया हो तो उसे 50 % x 0.25 = 12.5 अंक दिये जायेंगे।

(3) साक्षात्कार की प्रक्रिया का अवधारण आयोग द्वारा किया जाएगा।

(4) उपर्युक्त उप–नियम (2) के आधार पर मेधा–सूची तैयार करने के पश्चात्, आयोग द्वारा, नियुक्ति प्राधिकार के सहयोग से, प्रमाणपत्र की प्रारम्भिक जाँच एवं स्वास्थ्य–जाँच करायी जायेगी और तत्पश्चात् अधियाचित रिक्तियों के अनुरूप आरक्षण कोटिवार अंतिम अनुशंसा नियुक्ति प्राधिकार को भेजी जायेगी। नियुक्ति प्राधिकार के स्तर पर भी, प्रमाणपत्रों की जाँच के पश्चात् अनुशंसित अभ्यर्थियों के पूर्ववृत्त का सत्यापन करा लिया जायेगा।

(5) आयोग की अनुशंसा के उपरान्त नियुक्ति की प्रक्रिया के संबंध में सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत अनुदेश का अनुपालन आवश्यक होगा।

8. परिवीक्षा अवधि। –नियुक्ति के उपरान्त अभ्यर्थी परिवीक्षाधीन रहेंगे। परिवीक्षा अवधि दो वर्षों की होगी। परिवीक्षा अवधि में सेवा संतोषजनक नहीं पाये जाने की दशा में परिवीक्षा अवधि का विस्तार एक वर्ष के लिए किया जा सकेगा। यदि विस्तारित अवधि में भी सेवा संतोषजनक नहीं पायी जायेगी तो नियुक्ति प्राधिकार ऐसे फार्मासिस्ट को सेवामुक्त कर सकेगा।

9. प्रशिक्षण।– परिवीक्षा अवधि में परिवीक्षाधीन फार्मासिस्ट को ऐसे प्रशिक्षण (कोषागार प्रशिक्षण सहित) को सफलतापूर्वक पूर्ण करना होगा, जो विभाग द्वारा अवधारित किया जाय।

10. विभागीय परीक्षा। – फार्मासिस्ट को विभाग द्वारा आयोजित विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। विभागीय परीक्षा का पाठ्यक्रम विभाग द्वारा अवधारित किया जायेगा।

11. सम्पुष्टि। – परिवीक्षा अवधि संतोषजनक रूप से पूरा करने, प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करने और कम्प्यूटर सक्षमता जाँच परीक्षा तथा विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने पर फार्मासिस्ट को सेवा में सम्पुष्ट किया जा सकेगा।

12. वरीयता। – फार्मासिस्ट की आपसी वरीयता आयोग के द्वारा अन्तिम रूप से अवधारित मेधासूची के अनुसार अवधारित की जायेगी परंतु इस नियमावली के प्रवृत होने के पूर्व विनिश्चित आपसी वरीयता अपरिवर्तनीय रहेगी,

13. प्रोन्नति के सोपान।– (1) सेवा में सम्पुष्ट फार्मासिस्ट को रिक्ति की उपलब्धता के अधीन रहते हुए, योग्यता–सह–वरीयता के अनुसार, परिशिष्ट–1 में उल्लिखित प्रोन्नति के सोपान के पदों पर प्रोन्नति दिये जाने पर विचार किया जा सकेगा।

(2) प्रोन्नति के लिए सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत 'कालावधि' संबंधी अनुदेश का अनुपालन आवश्यक होगा।

(3) सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत प्रोन्नति संबंधी और चारित्री या पी0ए0आर0 संबंधी, आरोप, विभागीय कार्यवाही/आपराधिक कार्यवाही आदि संबंधी अनुदेशों का, प्रोन्नति पर विचार के समय, अनुपालन करना अपेक्षित होगा।

14. विभागीय प्रोन्नति समिति। – (1) प्रोन्नतियाँ, विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा के आधार पर होंगी। विभागीय प्रोन्नति समिति का गठन विभाग द्वारा किया जायेगा। अधिकतम ग्रेड–पे में प्रोन्नति पर विचार के लिए विभागीय प्रोन्नति समिति के अध्यक्ष बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य होंगे।

15. आरक्षण। – सरकार के आरक्षण अधिनियम और सरकार द्वारा समय–समय पर सीधी भर्ती एवं प्रोन्नति हेतु निर्गत आरक्षण रोस्टर का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

16. परिशिष्ट – 1 में अंकित पदसोपान सरकार के अनुमोदन के पश्चात् ही प्रभावी होगा। यदि अनुमोदन पर विचार के क्रम में सरकार द्वारा परिशिष्ट–1 में अंकित पद–सोपान में कोई उपांतरण या संशोधन किया जाता है तो परिशिष्ट–1 तदनुसार उपांतरित या संशोधित समझा जायेगा और ऐसा उपांतरित /संशोधित पद–सोपान इस नियमावली का अंग माना जायेगा।

17. परिशिष्ट – 1 में उल्लिखित इस संवर्ग के पदों पर, इस नियमावली के प्रवृत्त होने के पूर्व से नियुक्त/प्रोन्नत एवं कार्यरत कर्मी इस संवर्ग में स्वतः शामिल समझे जायेंगे।

18. कर्त्तव्य एवं दायित्व।– इस संवर्ग के पदाधिकारियों/कर्मियों के कर्त्तव्य एवं दायित्व वही होंगे जो परिशिष्ट–2 में यथाविनिर्दिष्ट किये गए हों।

19. अवशिष्ट मामले।– इस नियमावली में जिन विषयों का प्रावधान नहीं हो सका है उनके लिए सरकार की, प्रासंगिक संहिताएँ/नियमावली/संकल्प/अनुदेश के प्रावधान लागू होंगे।

20. निर्वचन। – यदि इस नियमावली के किसी उपबंध के निर्वचन में कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो उसे विधि विभाग के परामर्श से विभाग द्वारा विनिश्चित किया जायेगा और इस संबंध में विभाग का विनिश्चय अंतिम होगा।

21. कठिनाई का निराकरण। – यदि इस नियमावली के उपबंधों के कार्यान्वयन में कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो विभाग ऐसी कठिनाई का निराकरण ऐसे सामान्य या विशेष आदेश जो उस नियमावली के प्रावधानों से असंगत न हो, द्वारा कर सकेगा।

22. निरसन एवं व्यावृत्ति। – (1) पूर्व निर्गत नियमावली और सभी संकल्प, आदेश, अनुदेश आदि एतद् द्वारा निरसित किये जाते हैं।

(2) ऐसा निरसन के होते हुए भी उक्त नियमावली, संकल्प, आदेश, अनुदेश आदि के अधीन किया गया कुछ भी या की गयी कोई कार्रवाई इस नियमावली द्वारा किया गया या की गयी समझी जायेगी, मानो यह नियमावली उस तिथि को प्रवृत्त थी जिस तिथि को ऐसा कुछ किया गया था या ऐसी कोई कार्रवाई की गयी थी।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
सुरेश कुमार शर्मा,
सरकार के संयुक्त सचिव।

परिशिष्ट – 1

[नियम 2 (viii), 4, 13, 16, 17 द्रष्टव्य]

बिहार फार्मासिस्ट संवर्ग का पदसोपान, अर्हताएँ, आदि

क्रमांक	कोटि	पदनाम	सीधी भर्ती या प्रोन्नति	आवश्यक अर्हताएँ	अभ्युक्ति
1.	मूल कोटि	फार्मासिस्ट	सीधी भर्ती द्वारा	(i) इन्टरमीडियेट/+2 उत्तीर्णता। (ii) डिप्लोमा इन फार्मेसी के सभी पार्ट (पार्ट I, II एवं III) में उत्तीर्णता। (iii) बिहार फार्मेसी काउन्सिल से रजिष्ट्रीकृत होना आवश्यक होगा। [टिप्पणी– बी0 फार्मा0 एवं एम0 फार्मा0 उत्तीर्ण भी आवेदन कर सकेंगे।]	सभी अस्पतालों, औषधालयों, स्वास्थ्य केन्द्रों में।
2.	प्रथम सोपान	वरीय फार्मासिस्ट	प्रोन्नति द्वारा	–	20–शय्याओं या अधिक वाले और 50–शय्याओं या अधिक वाले सभी अस्पतालों में।
3.	द्वितीय सोपान	मुख्य फार्मासिस्ट	तथैव	–	सभी जिला अस्पतालों में।
4.	तृतीय सोपान	वरीय मुख्य फर्मासिस्ट	तथैव	–	सभी चिकित्सा महाविद्यालय अस्पतालों में।

परिशिष्ट – 2

[नियम 18 द्रष्टव्य]

फार्मासिस्टों के कर्तव्य एवं दायित्व

क्रमांक	पदनाम	कर्त्तव्य एवं दायित्व	पदस्थापन स्थान
1.	फार्मासिस्ट	नुसखा (प्रेस्क्रीपशन) प्राप्त करना, नुसखा की पड़ताल करना, परिशुद्ध औषधि बनाना, मरीज को यथोचित सलाह देना, मरीजों से प्रतिपुष्टि (फीडबैक) प्राप्त करना और अभिलेखित करना, चिकित्सा–विधिक पंजी (इन्ज्युरी एवं पोस्टमोर्टेम रजिस्टर) का अभिरक्षक।	सभी अस्पतालों, औषधालयों, स्वास्थ्य केन्द्रों में।
2.	वरीय फर्मासिस्ट	औषधियों एवं चिकित्सा–यंत्रों तथा भंडार का प्रबंधन, औषधियों की आपूर्ति, स्टॉक प्रबंधन। समुचित लेबल सहित दवाओं की पुनः पैकिंग/पूर्व–पैकिंग। गैर–निर्जीवाणुक विरचनाएँ। जैव–विषशून्य विरचनाएँ।	20–शय्याओं या अधिक वाले सभी अस्पतालों और 50–शय्याओं या अधिक वाले सभी अस्पतालों में।
3.	मुख्य फार्मासिस्ट	औषधियों एवं उपकरणों की खरीद। औषधि सूचना सेवाएँ। अस्पताल तकनीकी सेवाओं के लिए शिक्षण एवं प्रशिक्षण। औषधियों एवं यंत्रों की गुणवत्ता के प्रति आश्वस्त होना। वार्ड फार्मेसी सेवाएँ। औषधियों की प्रतिकूल प्रतिक्रिया का अनुश्रवण एवं रिपोर्टिंग। लाक्षणिक (क्लीनिकल) विशिष्टता से जुड़ी सेवाएँ । विशेषज्ञ सूचना सेवाएँ। –क्लीनिकल फार्मेसी सेवाओं का संगठन। तकनीकी सेवाएँ। निर्जीवाणुक विनिर्माण। क्लीनिकल शोध एवं विकास। औषधि–चिकित्सा प्रबंधन। औषधि–पथ्य समीक्षा। परामर्शदातृ सेवाएँ। –विभिन्न अस्पताल समितियों में सेवाएँ देना, यथा– (क) फार्मेसी ऐंड थेराप्युटिक्स कमिटी। (ख) अस्पताल संक्रमण नियंत्रण समिति। (ग) मानव नैतिकता समिति। (घ) पशु नैतिकता समिति। (ड.) संस्थागत समीक्षा बोर्ड। (च) क्लीनिकल ट्रेल कमिटी। –क्लीनिकल शासन एवं जोखिम प्रबंधन। अस्पताल फार्मेसी प्रबन्धन :– (i). स्टाफ प्रबंधन, (ii). बजट प्रबंधन (iii). बेंचमार्किंग। –सूचना–प्रावैधिक लागू करना। अस्पताल सूत्र–समूह सेवाएँ। (i). अस्पताल फार्मेसी सेवाएँ, (ii). फार्मासिस्टों का शिक्षण एवं प्रशिक्षण, (iii). फार्मासिस्टों के शिक्षण कार्यक्रम का जारी रहना, (iv). जिला स्तर पर बड़े औषधि सूचना केन्द्र के संचालन की योजना बनाना एवं कार्यान्वयन –का समन्वय एवं मूल्यांकन।	सभी जिला अस्पतालों में।
4.	वरीय मुख्य फर्मासिस्ट	–केन्द्रीय मेंडिकल स्टोर डिपो का प्रबंधन करना। –औषधियों एवं यंत्रों का चयन, खरीद (प्रोक्योरमेंट) एवं वितरण –आपूर्तियों का गुणवत्ता नियंत्रण। –फार्मेकोइकोनोमिक्स अध्ययन/शोध। –फार्मासिस्टों के शैक्षणिक एवं प्रशिक्षण मानकों का सूत्रीकरण एवं डायनामिक अद्यतनीकरण। –पूरे राज्य में अस्पताल फार्मेसी सेवाओं के समन्वित विकास एवंसुधार के लिए समुचित नीति, –योजना का सूत्रीकरण। –बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए अस्पताल फार्मेसी सेवाओं के गुणवत्तापूर्ण सुधार को प्रोन्नत –करना। –फार्मेकोथेराप्युटिक्स, फार्मेकोइकोनोमिक्स, फार्मेकोभिजीलेन्स, फार्मेकोइंफोर्मेटिक्स का समन्वय। –आधुनिक औषधियों की संरक्षा एवं असर सुनिश्चित करने में विकसित विश्व के साथ गतिमान –रहने हेतु फार्मास्युटिकल रिसर्च को, इसके सभी रूपों में, बढ़ाना। –फार्मासिस्ट संवर्ग एवं फार्मेसी सेवाओं का पूर्ण नियंत्रण एवं प्रशासन।	सभी चिकित्सा महाविद्यालय अस्पतालों में।

24 सितम्बर 2014

सं0 04/फार्मा–14–01/14–871(4) अधिसूचना संख्या 04/फार्मा–14–01/14–870(4) दिनांक 24 सितम्बर 2014 का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद, बिहार–राज्यपाल के प्राधिकार से, एत्द द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारत का संविधान के अनुच्छेद–348 के खंड (3) के अन्तर्गत अंग्रेजी भाषा में उक्त अधिसूचना का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
सुरेश कुमार शर्मा,
सरकार के संयुक्त सचिव।

The 24th September 2014

No. 04/फार्मा–14–01/14–870(4)—In exercise of powers conferred by proviso to Article -309 of the Constitution of India, the Governor of Bihar is pleased to make the following Rules to regulate appointment and other service conditions in the Pharmacist Cadre under the Health Department. -

1. Short title, extent & commencement. - (1) These Rules may be called as the " Bihar Pharmacist Cadre Rules, 2014."

(2) It will extend to the whole State of Bihar.

(3) It will come into force at once.

2. Definitions. - In these Rules, unless the subject or context otherwise requires:-

(i) ' Government' means Bihar State Government ;

(ii) ' Department' means Health Department ;

(iii) 'Commission' means Bihar Staff Selection Commission;

(iv) 'Appointing Authority' means Director in Chief, Health Services, Bihar;

(v) 'Directorate' means Directorate, Health Services, Bihar;

(vi) 'Cadre' means Bihar Pharmacist Cadre;

(vii) 'Pharmacist' means Pharmacist and Compounder; and

(viii) 'Appendix' means appendix 1 and 2 appended to these Rules .

3. Constitution of cadre. - The Cadre of Pharmacist shall be state level. In this cadre, number of posts in each category and total number of posts in the cadre shall be as many as may be sanctioned by the Government, from time to time.

4. Chain of Posts of Cadre. - Different categories and chain of posts of this cadre shall be according to Appendix-1.

5. Recruitment. - Appointment in this cadre shall be to the basic category post of (Pharmacist) by direct recruitment on the basis of recommendation of the Commission.

6. Qualifications. - (1) For appointment by direct recruitment to the basic category posts, minimum educational qualification shall be Intermediate/10+2 (Science) pass and passing in all parts (part I, II & III) of Diploma-in Pharmacy from the institution recognised by the Government and a certificate to that effect shall be necessary.

(2) It shall be necessary for the condidate to be registered with Bihar Pharmacy Council.

(3) For direct recruitment in the Pharmacist Cadre, minimum age limit shall be 21 years and maximum age limit shall be the same as may be determined reservation categorywise, from time to time, by the Government.

(4) 1st August of the concerned year shall be deemed to be the cut off date for determination of age.

7. Procedure of Recruitment. - (1) The appointing authority, after calculating vacancy on the basis of position as on 1st April of the year and getting roster cleared, shall send reservation categorywise requisition to the Commission latest by 30th April.

(2) In light of requisition, the Commission shall invite applications after advertising vacancies and shall prepare merit list on following basis :-

(a) For marks obtained in Intermediate/+2 (Science) examination	-	25 marks
(b) For higher degree (B.Sc./B. Pharma/M.Sc./M. Pharma)	-	10 marks
(c) For marks obtained in Diploma-in-Pharmacy examination	-	25 marks
(d) For work experience in Government hospitals of Bihar State (5 marks per year, maximum 25 marks)	-	25 marks
(e) For Interview	-	15 marks
Total	-	100 marks

Note :- The marks to be given to a candidate for marks obtained in the Intermediate/10+2 (Science) course examination shall be determined by multiplying percentage of total marks obtained in the aforesaid courses examination by multiple of 0.25. For example, if a candidate has obtained 50% marks, he will be given 50% x 0.25 = 12.5 marks.

(3) Procedure for interview shall be determined by the Commission.

(4) After preparation of merit list on the basis of sub-rule (2), preliminary scrutiny of certificates and medical check up shall be conducted by the Commission with the co-operation of the Appointing Authority and, thereafter, reservation categorywise final recommendation, in accordance with the requisitioned vacancies, shall be sent to the Appointing Authority. At the level of Appointing Authority also, antecedents of candidates shall be caused to be verified after scrutiny of certificates.

(5) After recommendation of the Commission, compliance of instructions issued by the Government, from time to time, with respect to procedure of appointment, shall be necessary.

8. Probation period. - After appointment, the candidate will be on probation. Probation period will be of two years. In case, the service during probation period is not found satisfactory, the probation period will be extended for one year. If the service is not found satisfactory in extended period also, then the Appointing Authority may terminate service of such Pharmacist.

9. Training. - During probation period, the probationer Pharmacist shall have to undergo such training (including Treasury training) as may be determined by the Department.

10. Departmental Examination. - On completion of probation period the Pharmacist shall have to pass the departmental examination. The syllabus of departmental examination will be determined by the Department.

11. Confirmation. - On satisfactory completion of probation period, successful completion of training and passing of Computer Competency Test as well as departmental examination, a Pharmacist may be confirmed in the service.

12. Seniority. - The inter-se seniority of Pharmacist shall be determined according to the merit list determined finally by the Commission; but the inter-se seniority determined before coming into effect of these Rules shall remain unchanged.

13. Chains of Promotion. - (1) Subject to availability of the vacancies, the confirmed Pharmacists may be considered to be promoted on the posts of chain of post for promotion mentioned in Appendix-1, according to merit-cum-seniority.

(2) For promotion, it shall be necessary to comply instructions with respect to 'KALAWADHI' issued by the Government, from time to time.

(3) Compliance of instructions by the Government, from time to time, with respect to promotion and character Roll/P.A.R. allegation/ departmental proceedings/criminal proceedings etc, shall be required at the time of consideration of promotion.

14. Departmental Promotion Committee. - Promotions, may be considered on the basis of recommendations of the Departmental Promotion Committee. The Departmental Promotion Committee shall be constituted by the Department. For consideration of promotion in the maximum grade pay, the Chairman or Member of the Bihar Public Service Commission shall be the Chairman of the Departmental Promotion Committee.

15. Reservation. - It shall be necessary to comply the Reservation Act of the Government and reservation roster for direct recruitment and promotion issued by the Government, from time to time.

16. The chain of posts mentioned in Appendix - 1 shall be effective only after approval of the Government. If, in course of consideration of approval, any modification or amendment is made by the Government in the chain of posts mentioned in Appendix - 1, then the Appendix - 1 shall be deemed to be modified or amended accordingly and such modified/amended chain of posts shall be deemed to be the part of these Rules.

17. The personnel already appointed/promoted and working to the posts of the cadre mentioned in Appendixe-1, before coming into force of these Rules, shall be deemed to be automatically included in this cadre.

18. Duties & Responsibilities. - The duties and responsibilities of the officers/personnel of this cadre shall be which are specified in Appendix-2.

19. Residue matters. - For the subjects which have not been provided in these Rules, the provisions of concerned Codes/Rules/Resolutions/Instructions of the Government shall apply.

20. Interpretation. - If any doubt arises with respect to interpretation of any provision of these Rules, it shall be determined by the Department in consultation with the Law Department and in this respect decision of the department shall be final.

21. Removal of difficulties. – If any difficulty arises in implementation of provisions of these Rules, the Department may remove such difficulty by such general or special order which is not inconsistent with the provisions of these Rules.

22. Repeal and Savings. - (1) The Rules and all Resolutions, Instructions, Orders, etc. issued earlier, are hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, any thing done or any action taken under the said Rules, Resolutions, Orders, Instructions etc shall be deemed to be done or taken under these Rules, as if these Rules were in force on the date on which such thing was done or such an action was taken.

By order of the Governor of Bihar,
SURESH KUMAR SHARMA,
Joint Secretary to Government.

Appendix - 1

[See Rules 2 (viii), 4, 13, 16, 17]

Chain of posts, qualification etc. of Bihar Pharmacist Cadre

Sl. No.	Category	Name of Posts	Direct Recruitment or Promotion	Requisite qualifications	Remarks
1.	Basic Category	Pharmacist	By Direct Recruitment	(i) Intermediate/+2 (Science) pass (ii) Pass in all parts (part I, II & III) of Diploma in Pharmacy. (iii) It shall be necessary to be	In all Hospitals, Dispensaries, Health Centres.

				registered with the Bihar Pharmacy Council. [Note - B. Pharma. and M. Pharma. pass may also apply.]	
2.	First ladder	Senior Pharmacist	By Promotion	-	In all Hospitals having 20 - beds or more and in all Hospitals having 50 - beds or more.
3.	Second ladder	Chief Pharmacist	Do	-	In all District Hospitals.
4.	Third ladder	Senior Chief Pharmacist	Do	-	In all Medical College Hospitals.

APPENDIX - 2

[See Rule 18]

DUTIES & RESPONSIBILITIES OF PHARMACISTS

Sl. No.	Name of Post	Duties & Responsibilities	Place of posting
1.	Pharmacist	Receiving the prescription, checking the prescription, accurate dispensing and adequate patient counselling, receiving and recording feed back from patients, custodian of medico-legal Register (Injury and Postmortem Register).	In all hospitals, dispensaries, health centres.
2.	Senior Pharmacist	Receiving supply of medicines and medical devices, proper storage and inventory control, and management of stores, supply of medicines, stock management. Repacking/prepacking of drugs with proper label. Non-sterile preparations. Aseptic preparations.	In all hospitals having 20 beds or more and 50 beds or more.
3.	Chief Pharmacist	Purchase of drugs & appliances. Drug information services. Education & Training for hospital technical services. Quality assurance of medicines and devices. Ward pharmacy services. Adverse Drug Reaction monitoring of reporting. Clinical Speciality linked services. Specialist information services. -Organization of clinical pharmacy services. Technical services. Sterile manufacturing. Clinical Research & Development. Drug Therapy Management. Drug regimen review. Advisory services. - Serving on various hospital committees, namely:- (a) Pharmacy & Therapeutics Committee. (b) Hospital Infection Control Committee. (c) Human ethics committee. (d) Animal ethics committee. (e) Institutional Review Board. (f) Clinical trail Committee. - Clinical govermance and risk management. Hospital Pharmacy management :- (i) Staff management, (ii) Budget management, (iii) Benchmarking. - Application of information technology. Hospital Formulary services. Co-ordination and appraisal of - (i) Hospital Pharmacy services. (ii) Education and training for Pharmacists. (iii) Continuing education programme for Pharmacists. (iv) Planning and implementation of running large medicines information centre at district level.	In all District Hospitals.
4.	Senior Chief Pharmacist	- Managing Central Medical Stores Depots. - Selection, procurement and distribution of medicines and devices. - Quality control of supplies . - Pharmaco-economics studies/research.	In all Medical College Hospitals.

		Formulating & dynamic updating of educational and training standards for Pharmacists. Formulating proper policy, planning for co-ordinated development and improvement of Hospital Pharmacy services throughout the State. Promotion of qualitative improvement of hospital pharmacy services for better health care delivery. Co-ordinate Pharmacothorapeutics, pharmacoeconomics, pharmacovigilance, pharmacoin-formatics, Gearing up Pharmaceutical research in all its facets to keep pace with developed world in ensuring safety and efficacy of modern medicines. Over all control and administration of Pharmacy cadre and Pharmacy services.	

By order of the Governor of Bihar,
SURESH KUMAR SHARMA,
Joint Secretary to Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 846-571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in